



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

평. 2651]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर २९, २०१४/पाँव ८, १९३६

No. 26511

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2014/PAUSA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्लीं, 29 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3288 (अ).— आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप—धारा (१) के खंड (छ) के हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हैं एव निम्नलिखित व्यक्तियों को उपरोक्त वर्णित प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नामित करते हैं:-

- 1. डॉ. डी.एन. शर्मा,
- 2 श्री कमल किशोर
- 3 ले०ज० एन.सी.मारवाह, पी.वी.एस.एम, ए.वी.५स.एम (संवा निवृत्त)

[फा.सं.44-24 / 2014-एन डी एम.-।।] जी.वी.वी शर्मा.संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2014

S.O. 3288 (E).— In exercise of the powers canferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has reconstituted the said Authority and nominated the following persons as Members:-

- Dr. D.N. Sharma,
- Shri Kamal Kishore,
- Lt. Gen. N.C. Marwah. PVSM, AVSM (Retd.)

[F.No. 44-24/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.